POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 04.08.2025

1.थाना साइबर क्राइम, सर्विलांस टीम नोएडा व थाना फेस-1 पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए कॉल सेन्टर के माध्यम से लोन देने के नाम पर लोगो से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 11 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 43 लैंडलाइन फोन, 21 मोबाइल फोन, 05 लैपटॉप, 61 सिम कार्ड, 36 सिम कार्ड के खाली लिफाफे व अनाधिकृत डाटा की 10 फाइलें बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **4/5.08.2025** को **थाना साइबर क्राइम, सर्विलांस टीम नोएडा व थाना फेस-1 पुलिस द्वारा संयुक्त रूप** से कार्यवाही करते हुए फर्जी कॉल सेन्टर के माध्यम से लोन देने के नाम पर लोगो से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 11 अभियुक्त 1.विक्रम सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 2.अमन पुत्र अनिल कुमार टैगौर 3.केशव कुमार झा पुत्र बैंजू झा 4.अरमान चौधरी पुत्र इम्तियाजी 5.मोहित पुत्र सुभाषचन्द्र 6.राहुल सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह 7.फिरोज खान पुत्र शरीफ खान 8.राहुल कुमार वर्ष पुत्र जगदीश 9.अक्षय कुमार मिश्रा वर्ष पुत्र मनोज मिश्रा 10.पंकज सिह पुत्र गोपाल सिंह 11.दिव्या वर्ष पुत्री रुप सिंह को सेक्टर-16, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 43 लैंडलाइन फोन, 21 मोबाइल फोन, 05 लैपटॉप, 61 सिम कार्ड, 36 सिम कार्ड के खाली लिफाफे व कस्टमरों का अनाधिकृत रूप से लिया गया डाटा की 10 फाइलें बरामद की गयी है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग अनाधिकृत रूप से लोगो का डाटा जिसमें उनके नाम, पता, मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि आदि सूचनाओं के साथ प्राप्त करते थे और कस्टमर को कॉल करके उन्हे 0% ब्याज पर लोन देने का झांसा देते थे, फिर कस्टमर को अपने जाल में फंसाकर लोन, रजिस्ट्रेशन एवं जीएसटी जमा करने के नाम पर उनसे पैसे लेकर उनकी बीमा पॉलिसी कराकर दे देते थे और रुपये बीमा कम्पनियो के बैंक खातो में जमा कराते थे। लोन की धनराशि कस्टमर से जिन बीमा कंपनियों के नाम के खातों में जमा कराई जाती थी, उन कंपनियों से इनको कमीशन के रूप में 40% से 60% तक कमीशन प्राप्त होता था। इस प्रकार यह लोगो से धोखाधडी करके ठगी करते थे। उक्त कॉल सेंटर का डायरेक्टर गौरव जोशी व उसकी पत्नी नेहा है जो कि मौके पर मौजूद नहीं थे। अभियुक्तगण से बरामद डेस्क फोन की आई.एम.ई.आई पर बैंगलोर सिटी से शिकायत एनसीआरपी पर दर्ज है। अभियुक्तों के व्हाट्सएप चैट से अनधिकृत वेंडर की भी जानकारी प्राप्त हुयी है, जिससे भारत के लाखों लोगों का डाटा/निजी जानकारी को एक्सेल शीट में फोन में मौजूद पाया गया। वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. विक्रम सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निवासी कविनगर, गाजियाबाद।
2. अमन पुत्र अनिल कुमार टैगौर निवासी खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद।
3. केशव कुमार झा पुत्र बैंजू झा निवासी खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद।

4. अरमान चौधरी पुत्र इम्तियाजी निवासी असालतपुर फारुखनगर, गाजियाबाद।
5. मोहित पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी हर्ष विहार, दिल्ली।
6. राहुल सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिहं निवासी शमशाबाद, आगरा।
7. फिरोज खान पुत्र शरीफ खान निवासी वदरपुर वार्डर, नई दिल्ली।
8. राहुल कुमार पुत्र जगदीश पता अरविन्द नगर घोंडा, दिल्ली।
9. अक्षय कुमार मिश्रा पुत्र मनोज मिश्रा निवासी दल्लूपुरा, दिल्ली।
10. पंकज सिह पुत्र गोपाल सिंह निवासी वेस्ट विनोद नहर, दिल्ली।
11. दिव्या पुत्री रुप सिंह निवासी सेक्टर-22, नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 314/2025 धारा 318(4)/319(2)/61(2)/3(1) बीएनएस व 66बी/66डी आईटी एक्ट थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 43 लैंडलाइन फोन
2. 21 मोबाइल फोन
3. 05 लैपटॉप
4. 61 सिम कार्ड
5. 36 सिम कार्ड के खाली लिफाफे
6. 10 फाइलें जिसमें 2054 पेज अनाधिकृत डाटा